<u>प्रेस नोट</u> <u>दिनांक 07.09.2020</u>

<u>सराहनीय कार्य जनपद बागपत।</u>

- **विष्व हिन्दू परिषद कार्यकर्ता को जान से मारने की धमकी व अभद्र भाषा एवं राष्ट्र विरोधी कृत्य करने वाले आरोपी को थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर किया गया मा0 न्यायालय के समक्ष पेष।**

दिनांक 10.07.2020 को विष्व हिन्दू परिषद कार्यकर्ता कुलदीप पांचाल पुत्र सन्तकुमार पांचाल निवासी सैडभर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत को फोन द्वारा जान से मारने की धमकी व अभद्र भाषा एवं राष्ट्र विरोधी कृत्य करने के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 201/2020 धारा 507, 504, 153ए, 124ए पंजीकृत किया गया था।

श्रीमान अपर पुलिस महोदय बागपत के निर्देषन व क्षेत्राधिकारी बागपत के नेतृत्व में थाना सिंघावली अहीर की विषेष टीम द्वारा दिनांक 03.09.2020 को ग्राम कुसम्बी जनपद कटक उडीसा से आरोपी सैययद अब्दुल अता हसन अहमद पुत्र सैययद रषीद अहमद निवासी कुसम्बी थाना सालीपुर जनपद कटक उडीसा को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त सैययद अब्दूल अता हसन अहमद को ट्रांजिट रिमांड पर जनपद कटक उडीसा से जनपद बागपत लाया गया। जिसे आज दिनांक 07.09.2020 को थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय के समक्ष पेष किया जा रहा है। अभियुक्त सैययद अब्दुल अता हसन अहमद इससे पहले भी मई व जून 2020 में वाराणसी के हिन्दू समाज पार्टी के नेता रोषन पाण्डेय को जान से मारने की धमकी दे चुका है। जिसके सम्बन्ध मे थाना लंका जनपद वाराणसी पर 1—मु0अ0सं0 335/2020 धारा 507 भादवि थाना लंका जनपद वाराणसी व 2—मु0अ0सं0 428/2020 धारा 506, भादवि व 67 आईटी एक्ट थाना लंका जनपद वाराणसी पंजीकृत है।

<u>अभियुक्त का नाम व पता—</u>

सैययद अब्दुल अता हसन अहमद पुत्र सैययद रषीद अहमद निवासी कुसम्बी थाना सालीपुर जनपद कटक उडीसा।

<u>अभियुक्त सैययद अब्दुल अता हसन अहमद का अपराधिक इतिहास—</u>

1—मु0अ0सं0 838/2019 धारा 507 भादवि थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी।
2—मु0अ0सं0 335/2020 धारा 507 भादवि थाना लंका जनपद वाराणसी।
3—मु0अ0सं0 428/2020 धारा 506, भादवि व 67आईटी एक्ट थाना लंका जनपद वाराणसी।
4—मु0अ0सं0 201/2020 धारा 507, 504, 153ए, 124ए भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

- **थाना एएचटीयू बागपत द्वारा चलाये गये नो चाइल्ड लेवर अभियान मे 06 बाल श्रमिको का कराया गया रेस्कयू।**

आज दिनांक 07.09.2020 को श्री मनीष मिश्रा अपर पुलिस अधीक्षक महोदय बागपत/नोडल अधिकारी ए0एच0टी0यू0 जनपद बागपत व श्री मंगत सिह रावत क्षेत्राधिकारी खेकडा के कुशल नेतृत्व में थाना एएचटीयू बागपत टीम द्वारा नो चाइल्ड लेवर अभियान चलाया गया। जिसमे थाना कोतवाली बागपत क्षेत्रान्तर्गत से 06 बाल श्रमिको का रेस्कयू किया गया। बाल श्रमिको को मा0 न्यायालय सीडब्लूसी बागपत के समक्ष पेष कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>रेस्क्यू किये गये बाल श्रमिको व सेवायोजक/निरीक्षत प्रतिष्ठान का नाम व पता एवं बच्चों का किया गया कार्य—</u>

1–सादिक पुत्र राजुददीन नि0 मौ0 लाल खम्भा कस्बा व थाना बागपत 14 वर्ष।
2–अकुंश पुत्र जोगेन्द्र निवासी निरोजपुर गुर्जर थाना व जनपद बागपतद 12 वर्ष।
3–वकास पुत्र रामनिवास निवासी उपरोक्त 13 वर्ष।
उपरोक्त तीनो बाल श्रमिक राहुल पुत्र अशोक कुमार निवासी थाना भवन जनपद शामली हाल पता बालाजी आटो रिपेयरिंग सेन्टर दिल्ली सहारनपुर रोड बागपत के यहां मोटर साइकिल मरम्मत/सर्विस का कार्य कर रहे थे।
4–आबाद पुत्र एजाज निवासी माता कालोनी कस्बा व थाना बागपत 12 वर्ष।
5–धमेन्द्र उर्फ पिन्टू पुत्र जगवीर निवासी शहवाजपुर थाना गोडा जनपद अलीगढ हाल पता काली माता मन्दिर बागपत 13 वर्ष।
उपरोक्त दोनो बाल श्रमिक ईशान्त पुत्र रामकिशन शर्मा निवासी ठाकुरद्वारा कस्बा व थाना बागपत के यहां ई–रिक्शा की सर्विस व मरम्मत का कार्य कर रहे थे।
6–सुहैल पुत्र महबूब निवासी काठा थाना व जनपद बागपत 13 वर्ष शाकिर पुत्र मोमी निवासी माता कालोनी कस्बा व थाना बागपत बराया सर्विस सेन्टर दिल्ली सहारनपुर रोड बागपत के यहां मोटरसाइकिल मरम्मत/सर्विस का कार्य कर रहा था।

टीम–

1–उप निरी श्री धर्मेन्द्र सिह सिद्धू प्रभारी ए0एच0टी0यू0 जनपद बागपत।
2–श्री देवेन्द्र धामा नवोदय जीवा चेतना कल्याण समिति जनपद बागपत।
3–आरक्षी 106 प्रवीण कुमार–थाना ए0एच0टी0यू0 जनपद बागपत।
4–महिला आरक्षी 251 निदा राणा–थाना ए0एच0टी0यू0 जनपद बागपत।

➢ **जनपद बागपत पुलिस की अपराधियों के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्यवाही के चलते भयमुक्त होकर सात साल बाद अपने गांव वापस आया परिवार सहित फौजी।**

जनपद बागपत पुलिस की अपराधियों के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई के चलते जनता में कानून व्यवस्था एवं बागपत पुलिस पर विश्वास में वृद्धि हुई है। उक्त कार्रवाई के क्रम में शातिर अपराधी प्रवीण निवासी गंगनौली की गिरफ्तारी के उपरांत कानून व्यवस्था में विश्वास करते हुए भयमुक्त होकर प्रवेश फौजी निवासी गंगनौली थाना दोघट सात साल बाद अपने परिवार सहित गांव वापस आया है तथा अपने मकान व खेती की जमीन पर कब्जा लिया है।

उल्लेखनीय है कि सात वर्ष पहले प्रवेश फौजी के परिवार के पांच लोगों की हत्या कर दी गई थी, उसी से भयभीत होकर प्रवेश फौजी ने गांव से परिवार के साथ पलायन किया था।

➢ **थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 3000 रूपये बरामद।**

थाना सिंघावली अहीर– पुलिस द्वारा दिनांक 06.09.2020 को ग्राम गौसपुर से अभियुक्त मासूम पुत्र अब्बास निवासी ग्राम गौसपुर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से चोरी के 3000 रूपये बरामद किये है। अभियुक्त द्वारा दिनांक 05.08.2020 को ग्राम गौसपुर में मोसिन पुत्र इजाजुददीन निवासी ग्राम गौसपुर थाना सिंघावली अहीर के घर में धुसकर 20 हजार रूपये चोरी किये थे। इस सम्बन्ध में अभियुक्त के विरूद्व थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 269/2020 धारा 380, 411 भादवि में अभियोग पंजीकृत किया गया था, विधिक कार्यवाही की जा रही है।

➢ **थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का टयूबवैल का स्टार्टर बरामद।**

थाना सिंघावली अहीर– पुलिस द्वारा आज दिनांक 07.09.2020 को जंगल ग्राम सिंघावली अहीर से अभियुक्त साजिद पुत्र सईद निवासी ग्राम व थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत को गिरफ्तार किया

है। अभियुक्त के कब्जे से चोरी का टयूबवैल का स्टार्टर बरामद किया है। अभियुक्त द्वारा आज दिनांक 07.08.2020 को जंगल ग्राम सिंघावली अहीर से अंकित पुत्र बेगराज निवासी ग्राम व थाना सिंघावली अहीर की टयूबवैल का स्टार्टर चोरी किया था। इस सम्बन्ध में अभियुक्त के विरूद्ध थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 270/2020 धारा 380, 411 भादवि में अभियोग पंजीकृत किया गया था, विधिक कार्यवाही की जा रही है।

- **सोषल मीडिया (फेसबुक) पर तमंचे के साथ फोटो वायरल करने वाला आरोपी गिरफ्तार, कब्जे से एक तमंचा 315 बोर मय एक जिंदा कारतूस नाजायज बरामद।**

  थाना छपरौली– पुलिस द्वारा आज दिनांक 07.09.2020 को मुखबिर की सूचना पर बाछोड भटटे के पास जंगल ग्राम हलालपुर से आरोपी अंकित पुत्र स्व0 देवेन्द्र उर्फ कालूराम निवासी ग्राम हलालपुर थाना छपरौली जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर मय एक जिंदा कारतूस नाजायज बरामद किया गया है। आरोपी द्वारा करीब डेढ माह पूर्व सोषल मीडिया (फेसबुक) पर तमंचे के साथ फोटो वायरल किया था। आरोपी के विरूद्व थाना छपरौली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

- **थाना रमाला पुलिस द्वारा आबकारी अधिनियम में एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 20 पव्वा देषी षराब नाजायज बरामद।**

  थाना रमाला– पुलिस द्वारा दिनांक 06.09.2020 को चैकिंग के दौरान जंगल ग्राम किषनपुर बराल से अभियुक्त चांदवीर पुत्र ब्रहमसिंह निवासी पटटी दाना ग्राम व थाना रमाला जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से 20 पव्वा देषी षराब यूपी मार्का नाजायज बरामद की गई है। अभियुक्त के विरूद्व थाना रमाला पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

- **थाना रमाला पुलिस द्वारा जुआ अधिनियम में 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से ताष के पत्ते व 7050 रूपये बरामद।**

  थाना रमाला– पुलिस द्वारा दिनांक 06.09.2020 को जंगल ग्राम असरफाबाद थल से ताष के पत्तों से हार–जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुए अभियुक्त 1–खालिद पुत्र तराबूदीन निवासी ग्राम असरफाबाद थल थाना रमाला 2–जगपाल उर्फ सुक्का पुत्र नेतराम निवासी ग्राम मौजिजाबाद नांगल थाना दोघट जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के कब्जे से ताष के पत्ते व 7050 रूपये बरामद किये है। अभियुक्तों के विरूद्व थाना रमाला पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

- **थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा पषु कू्रता अधिनियम में 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक ट्रक, एक केन्टर मय कू्रतापूर्वक भरे हुए 46 पषु बरामद।**

  थाना कोतवाली बागपत– पुलिस द्वारा दिनांक 06.09.2020 को चैकिंग के दौरान थाना क्षेत्र से अभियुक्त 1–फकरू पुत्र अली मौहम्मद निवासी खुषपरी थाना नगीना जनपद नूह हरियाणा 2–प्रदीप पुत्र मदन निवासी किठाना थाना कैथल जनपद कैथल हरियाणा 3–अनस पुत्र नवाब निवासी मौ0 केतीपुरा पुराना कस्बा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के कब्जे से **एक ट्रक, एक केन्टर मय कू्रतापूर्वक भरे हुए 46 पषु** बरामद किये है। अभियुक्तों के विरूद्व थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

- **थाना खेकडा पुलिस द्वारा 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।**

  थाना खेकडा पुलिस द्वारा आज दिनांक 07.09.2020 को मुखबिर की सूचना पर रेलवे फाटक के पास कस्बा खेकडा से मु0अ0स0 347/2020 धारा 147, 386 भादवि में वांछित अभियुक्त 1–इमरान पुत्र वहीद 2–सलाम पुत्र वहीद निवासी गण ग्राम फकरपुर थाना खेकडा जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के विरूद्व थाना खेकडा पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।